

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 605]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 अगस्त 2025 — श्रावण 13, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENS/20/2025-C&I.— छत्तीसगढ़ शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ-4-270/गृह-सी/2025, दिनांक 28-03-2025 द्वारा जारी “छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीडित राहत पुनर्वास नीति-2025” के क्रियान्वयन हेतु, राज्य शासन, एतद् द्वारा, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में निम्नानुसार अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात् -

संशोधन

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में,

- (1) कंडिका (12.28)(6) की सारणी के सरल क्रमांक 5 में, शब्द-समूह “दिव्यांग (निःशक्त) उद्यमी” के पश्चात् शब्द-समूह “, आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्ति” जोड़ा जाए।
- (2) परिशिष्ट-1 के कंडिका (27) में निम्नानुसार वाक्य जोड़ा जाए, अर्थात् -
“आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्ति का वही अर्थ होगा, जो छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीडित राहत पुनर्वास नीति-2025 में परिभाषित है।”
- (3) परिशिष्ट-7 के कंडिका क्रमांक (10), परिशिष्ट-8 के कंडिका क्रमांक (6), अध्याय (अ-2) की कंडिका क्रमांक (13), अध्याय (ब-1) की कंडिका क्रमांक (6), अध्याय (ब-2) की कंडिका क्रमांक (8), अध्याय (ब-3) की कंडिका क्रमांक (8) में, प्रत्येक शब्द-समूह “आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्ति” के पश्चात् शब्द-समूह “, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति” जोड़ा जाये।

यह संशोधन अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 4th August 2025

NOTIFICATION

No. GENS/20/2025-C&I.— For implementation of "Chhattisgarh Naksalvadi Aatmasamarpan/Pidit Raahat Punarvas Niti-2025" issued by Notification No. F-4-270/Home-C/2025, dated 28-03-2025 of the Chhattisgarh Government, Home (C-Section) Department, the State Government, hereby, makes the following amendments in the Industrial Development Policy 2024–30, namely-

AMENDMENTS

In the Industrial Development Policy 2024–30,

- (1) in serial number 5 of the Table of Para (12.28)(6), after the words "Differently abled Entrepreneurs", the words "Surrendered Naxal Individuals" shall be added.
- (2) in Para (27) of Annexure-1, the following sentence shall be added, namely -
"Surrendered Naxal Individual' will have the same meaning as defined in the Chhattisgarh Naksalvadi Aatmasamarpan/Pidit Raahat Punarvas Niti-2025."
- (3) in Para number (10) of Annexure-7, Para number (6) of Annexure-8, paragraph number (13) of Chapter (A-2), Para number (6) of Chapter (B-1), Para number (8) of Chapter (B-2), Para number (8) of Chapter (B-3), after each words "Surrendered Naxal Individuals", the words "Person Affected by Naxalism" shall be added.

This amendment will come into effect from the date of publication of the notification in the Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.